फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

पवन कुमार शर्मा बनाम रामस्वरूप व अन्य

प्रकरण संख्या—198/2023

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31.07.2024	पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक होना अंकित करते हुये अपने हक व हिस्से तक की भूमि में खातेदार कातश्कार घोषित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य आने के पश्चात् ही यह तय किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि पुस्तैनी भूमि है अथवा नही, प्रार्थी में उसमें कोई हक व हिस्सा बनता है अथवा नही। लेकिन प्रकरण में यह स्वीकृत स्थित है कि वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 1463 रकबा 0.22 हैक्टेयर की भूमि धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति के जरिये इकरारनामा बेचान किया गया है तथा सभी खातेदारों ने अपने—अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से उक्त खसरान में आवासीय कॉलानी में धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति से भू—खण्ड आवंटित करवा रखे है तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि भू—खण्ड संख्या 5 व 9 अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के पिता रामस्वरूप को आवंटित है। उक्त विक्रय को सही मानकर प्रार्थी एवं उसके भाई मोहनलाल ने 500/—रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 17.09.2023 को एक घोषणा पत्र निष्पादित किया है। उसके पिता द्वारा उसकी सहमति से खसरा नम्बर 1463 रकबा रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि में उसके पिता द्वारा धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दिया जिसके पेटे उसने भूखण्ड संख्या 5 प्राप्त कर लिया है तथा 450000/— (चार लाख पचास हजार रूपये) जरिये चैक राशि प्राप्त कर ली है। उक्त घोषणा पत्र व रसीद की प्रति जवाब अप्रार्थीगण के साथ संलग्न है। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण मे मुख्य विवाद भू—खण्ड संख्या 5 व 9 को लेकर है। प्रकरण में गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये मैं यह उचित समझता हूँ कि वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 1463 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से भू—खण्ड संख्या 5 व 9 को छोडकर खसरा नम्बर 1463 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निष्प्रभावी किया जाकर खारिज किया जाता है तथा शेष वादग्रस्त भूमि में उभयपक्ष वादपत्र के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बना[illegible] शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:08:03 IST
Reason: SelfAttested